संख्या-13/2024-वे0आ0-2-537/दस-2024-ई0प0(क0सं0-1784343)

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 21 सितम्बर, 2024**

विषय : सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के विभिन्न पदों/संवर्गों के सम्बन्ध में मुख्य सचिव समिति की संस्तुति पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

वेतन समिति (2016) के तृतीय प्रतिवेदन (भाग-1) के माध्यम से दी गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा विचार कर प्रदान की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिये गये हैं :-

(1) विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में विचार किया जाये कि संरक्षक (केयर टेकर) वेतन मैट्रिक्स लेवल-3 (रू0 21700-69100) के पद को कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर अलग से बनाये रखने की आवश्यकता है अथवा नहीं।

(2) आधुनिक तकनीकी के वर्तमान परिवेश में विभिन्न पदों के कार्यों से सम्बन्धित उन्नत तकनीकी सुविधायें उपलब्ध हैं। उक्त परिदृश्य में विभाग के कतिपय पदों के अनुपयोगी होने की स्थिति दृष्टिगोचर है। अत: विभाग ऐसे पदों को समाप्त किये जाने की कार्यवाही करें, जिनकी वर्तमान परिवेश में उपयोगिता न रह गयी हो।

(3) सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में उपलब्ध सामान्य कोटि के पदों/संवर्गों पर समिति द्वारा उक्त संवगों के सम्बन्ध में पूर्व में दी गयी संस्तुतियां लागू होंगी।

(4) सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अन्य पदों पर कोई विसंगति परिलक्षित नहीं हो रही है। इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में अनुमन्य सादृश्य वेतन लेवल को यथावत बनाये रखा जाय।

2- कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु यथावश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in